न्यायालय

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर चूरू

(पीठासीन अधिकारी – राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)

वाद संख्या:–568/2025 (GCMS No.2025/894)

दायरा दिनांक:– 12/12/25

1. शिशपाल पुत्र सुगनाराम जाति मेघवाल निवासी कैलाश तहसील तारानगर जिला चूरू
2. किरण देवी पुत्री सुगनाराम जाति मेघवाल निवासी कैलाश तहसील तारानगर जिला चूरू
3. पनाराम पुत्र सुगनाराम जाति मेघवाल निवासी कैलाश तहसील तारानगर जिला चूरू
4. मंगलाराम पुत्र सुगनाराम जाति मेघवाल निवासी कैलाश तहसील तारानगर जिला चूरू
5. राजबाला पुत्री सुगनाराम जाति मेघवाल निवासी कैलाश तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:– स्वयं

प्रतिवादीगण :– तहसीलदार तारानगर राजपैरोकार।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136, 92ए भू–राजस्व अधिनियम –1955

–:निर्णय:–

निर्णय तिथि:–12/12/25

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136, 92ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का मय तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि ग्राम रोही कैलाश में प्रार्थीगण की माता भतेरी पत्नी सुगनाराम ने दिनांक 22.03.2013 को खसरा नं. 490/51 में से 3–00 बीघा भूमि खातेदार मोहरसिंह पुत्र चेतन जाति मेघवंशी निवासी कैलाश तहसील तारानगर से खरीदी थी। जिसका इन्तकाल दर्ज करते समय राजस्व नक्शा में आसा–पासा गलत दर्ज हो गया। वर्तमान नक्शा में यह 3–00 बीघा भूमि खसरा नं. 490/51 में उतरी दिशा में दर्ज हो रखा है जो कि गलत है जबकि हमारा कब्जा पश्चिमी तरफ है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्तमान खसरा नं. 726/490 तादादी 0.7587 है0 रोही ग्राम कैलाश तहसील तारानगर में मुताबिक विक्रय पत्र के आसा–पासा पश्चिम दिशा में ही कब्जा के अनुसार नक्शा में शुद्ध करने का निवेदन किया।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व नक्शा में तरमीम शुद्धि के आदेश करने का निवेदन किया।
3. मैनें प्रार्थीगण के निवेदन पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात, तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका विवरण इस प्रकार है:–

- *वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा नं. 726/490 तादादी 0.7587 है0 भूमि किरण देवी, पनाराम, मंगलाराम, राजबाला, शिशपाल पुत्र पुत्रियां सुगनाराम ब0हि0ब0 जाति मेघवाल निवासी कैलाश खातेदार के नाम दर्ज है।*

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

- मुताबिक विक्रय पत्र क्रमांक 1540 दिनांक 22.3.13 के उक्त 3 बीघा भूमि खसरा सं 490/51 तादादी 10.00 बीघा में से तीन बीघा भूमि भतेरी देवी पत्नी सुगनाराम जाति मेघवाल निवासी कैलास ने मोहरसिंह पुत्र चेतन जाति मेघवंशी नि0 कैलाश से क्रय की थी, विक्रय पत्र में आसा–पासा भी दर्ज है।
- मुताबिक राजस्व रिकार्ड खसरा 726/490 सुगनाराम के वारिसानों के नाम दर्ज है तथा 727/490 मोहर सिंह पुत्र चेतन के नाम दर्ज है।
- मौका स्थिति के अनुसार भतेरी व सुगनाराम के वारिसान पूर्व खसरा सं. 490/51 के पश्चिमी तरफ काबिज है तथा पूर्व में मोहरसिंह पुत्र चेतन की भूमि है। उतरी तरफ नाथी देवी पत्नी मुस्ताकदीन कलाल का खेत है तथा दक्षिणी तरफ मोहनराम पुत्र शिवलाल तथा कृष्ण पुत्र शिवलाल का खेत है व पश्चिम में गीता पत्नी मनीराम का खेत है।

मौका स्थिति तथा विक्रय पत्र में दर्ज आसा पासा समान है जबकि राजस्व रिकार्ड (नक्शा) में तरमीम पूर्व से पश्चिम की तरफ की गई है।

अतः उपरोक्त जांच, मौका स्थिति तथा संलग्न विक्रय पत्र तथा राजस्व रिकार्ड के आधार पर उपरोक्त पंजीकृत विक्रय पत्र का नामन्तरण दर्ज करते समय भूलवश/लिपिकीय त्रुटि के कारण खसरा सं. 490/51 की तरमीम उतर से दक्षिण की जानी चाहिए थी जबकि तरमीम पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ हो गई। अतः मोका स्थिति तथा विक्रय पत्र के अनुसार खसरा सं. 490/51 की तरमीम पूर्व से पश्चिम दिशा से संशोधित कर उतर से दक्षिण की जानी उचित है।

5. उक्त विश्लेषण के अनुसार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा साबिक खसरा संख्या 490/51 3–00 बीघा वाके ग्राम कैलाश को जरिये बयनामा दिनांक 22.3.13 खरीद की थी। जिसका नामान्तकरण दर्ज करते समय भूलवश/लिपिकीय त्रुटि के कारण खसरा सं. 490/51 की तरमीम उतर से दक्षिण करने की वजाय पूर्व से पश्चिम दिशा में कर राजस्व नक्शा में गलत दर्ज कर दी गई। जबकि विक्रय पत्र में दर्ज आसा पासा एवं मौका कब्जा के अनुसार प्रार्थीगण की कृषिभूमि की तरमीम राजस्व नक्शा में उतर से दक्षिण दर्ज रिकार्ड होनी चाहिए थी। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के वर्तमान खसरा नं. 726/490 के हाल राजस्व नक्शा रिकॉर्ड में मुताबिक तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट के तरमीम पूर्व से पश्चिम दिशा से संशोधित कर उतर से दक्षिण की जानी उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबिक राजस्व रिकॉर्ड व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136, 92ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट के साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 726/490 तादादी 0.7587 है0 वाके ग्राम कैलाश तहसील तारानगर के राजस्व नक्शा में मुताबिक तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट 02.12.2025 के मुताबिक ही भूमि की तरमीम शुद्ध की जावे। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 12.12.25 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर–चूरू